क्रम संख्या--744

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-४

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग---1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 अक्तूबर, 1984

आश्विन 9, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2039/सत्रह-वि0-1-1(क)-9-1984

लखनऊ, 1 अक्तूबर, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 सितम्बर, 1984 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1984)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

राज्य विश्वविद्यालयों में की गयी कुछ नियुक्तियों को विधिमान्य करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) यह 16 अगस्त, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा

नियुक्तियों की विधिमान्यता

2—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या उसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विश्वविद्यालय में या उसके किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में 1 जुलाई, 1978 और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के बीच की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक पदों पर की गयी हो, विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायगी और ऐसी नियुक्तियों की विधिमान्यता पर किसी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि पद अलग से विज्ञापित नहीं किया गया था या विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

बी० एल० लूम्बा,

सचिव।

No. 2039/XVII-V-1—1(Ka)-9-1984

Dated Lucknow, October 1, 1984

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Nuiktiyon Ki Vidhi Manyata) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 1984:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (VALIDATION OF APPOINTMENTS) ACT, 1984

(U.P. Act no. 18 of 1984)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to validate certain appointments, made in the State Universities

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointments) Act, 1984.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 16, 1984.

Validation of appointments.

2. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or order of any officer or authority or anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or Statutes framed thereunder, the appointment of every teacher made in any University governed by the said Act or in any affiliated or associated college thereof during the period July 1, 1978 and the date of commencement of this act, in excess of the number of posts advertised, shall be and be deemed always to have been valid and validity of such appointments shall not be called in question before any court, tribunal, officer or authority merely on the ground that the post was not separately advertised or that the prescribed procedure was not followed.

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointments) Ordinance, 1984 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 16 of 19

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,

B. L. LOOMBA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी०—159 सा० (विधा०) (2203)—1984—750 (मेक०)